(घ) आयात तथा निर्यात के लिये हवाई अड्डों पर फूल-उत्पादों के भंडारण की सुविधायें मुहैया की जायें।

(ङ) ग्रीन-हाऊस घटक आदि सहित सामग्री के आयात के बारे में आयात नीति और सीमाशुल्क में ढील दी जाए।

(च) राष्ट्रीय स्तर पर नीति निरूपण के लिये फूलों की खेती पर राष्ट्रीय परिषद् बनाई जाये।

(छ) राज्य में फूलों की खेती के विकास से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के वास्ते नीति निरूपण और सलाह के लिये राज्य स्तरीय समितियां गठित की जायें।

(ज) फूलों की खेती के विकास के कार्यक्रमों को रोजगार और आय सृजन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाये।

(झ) कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों पर आवश्यकता पर आधारित अनुसंधान को सुदृढ़ बनाया जाये तथा तेज किया जाये।

(ञ) महत्वपूर्ण फूलों की फसलों के प्रसार के उन्नत तरीकों का विकास किया जाये और कोहरा तथा धुन्ध गृहों आदि का प्रावधान किया जाये।

(ट) हवाई भाड़े को युक्तिसंगत बनाया जाये।

(ठ) नकद प्रतिपूर्ति सहायता को फिर से लागू किया जाये।

(ड) परिवहन व भंडारण के लिये शीत श्रृंखला जैसे विशेष बुनियादी ढांचे का प्रावधान किया जाये।

Deaths due to cold wave in Northern Region

2521. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several persons living below poverty line have died of severe cold in the northern region during December, 1991—January, 1992;

(b) if so, the number of cold wave deaths in the region this year as compared to that in 1988-89, 1989-90 and 1990-91; and

(c) whether any comprehensive schemes have been drawn by Government to avert such cold-wave deaths, if so, the details thereof and the expenditure incurred thereon during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) to (c) The information is being collected from the State Governments.

2522. *[Transferred to the 23rd March 1992].*

सब्जियों और फलों का भण्डारण और संरक्षण

2523. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आलू, सब्जियों और फलों के भण्डारण और संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करने हेतु कोई योजना है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से बागवानी फसलों की कटाई पश्चात अवसंरचना सुदृढ़ करने के बारे में एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें अल्पावधि प्रशीतनगृहों/पूर्व-प्रशीतन इकाइयों (प्रि कलिंग यूनिट्स) की व्यवस्था